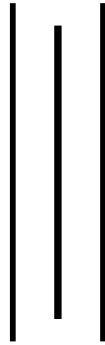


उत्तराखण्ड जल संस्थान

नागरिक घोषणा पत्र (सिटीजन चार्टर)



उत्तराखण्ड जल संस्थान

गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डलों में गढ़वाल एवं कुमायूँ जल संस्थान का सृजन उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975(अधिनियम सं० 43) के अन्तर्गत दिनांक 02 अक्टूबर, 1975 को किया गया था। उत्तराखण्ड शासन, पेयजल अनुभाग की अधिसूचना संख्या-2083/नौ-2-(41अधि०)/2002, देहरादून दिनांक 26 अगस्त, 2002 से कुमायूँ एवं गढ़वाल जल संस्थानों का एकीकरण कर, उत्तराखण्ड जल संस्थान का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड शासन, पेयजल अनुभाग की अधिसूचना संख्या-2231/नौ-2(12अधि०)/2001, देहरादून दिनांक 07 नवम्बर, 2002 से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 लागू कर दिया गया है जिसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान के कृत्य: जल संस्थान के निम्नलिखित कृत्य हैं:-

- (1) जल सम्भरण की योजनायें बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना ;
- (2) जहां साध्य हो वहां सीवर-व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन ;
- (3) अपने कार्य-कलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्यप्रद जल मिल सके और, जहां साध्य हो वहां दक्ष सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके ;
- (4) ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो;
- (5) ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उसे सौंपे ।

उत्तराखण्ड जल संस्थान की शक्तियां—

- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक जल संस्थान को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो ।
- (2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :
 - (क) उस क्षेत्र के, जो उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत हो, जल सम्भरण,सीवर—व्यवस्था और सीवेज सम्बन्धी निस्तारण से सम्बन्धित सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करना ;
 - (ख) भूमि तथा अन्य सम्पत्ति अर्जित करना, उनपर अधिपत्य रखना और उन्हें धारित करना और किसी राज मार्ग, सड़क, मार्ग या स्थान से होकर, उसके आर—पार, ऊपर या नीचे से और स्वामी या अध्यासी को युक्ति—युक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी भवन या भूमि में, उससे होकर,उसके ऊपर या नीचे से कोई जल या सीवर—व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण —कार्य करना;
 - (ग) किसी प्राकृतिक स्रोत से जल और उच्छिष्ट जल का निस्तारण करना;
 - (घ) किसी व्यक्ति या निकाय के साथ ऐसी संविदा या करार करना जिसे जल संस्थान आवश्यक समझे;
- (3) प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना;
- (4) “राज्य सरकार ” के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जल सम्भरण तथा सीवर—व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिये ऐसे टैरिफ लगाना या उसमें संशोधन करना और इन सेवाओं के लिये ऐसेसभीकर तथा प्रभार वसूल करना जो विहित किये जायें;
- (5) व्यय करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;

(6) “राज्य सरकार ” से ऋण,अग्रिम, वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्राप्त करना ।

उत्तराखण्ड जल संस्थान के अनुरोध पर उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा राज्य के पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण का कार्य किया जाता है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर योजनायें, उत्तराखण्ड जल संस्थान को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित की जाती हैं । इस प्रकार निर्मित योजनाओं की परिसम्पत्ति उत्तराखण्ड जल संस्थान की होती है।

1. ऑनलाईन माध्यम से दी जा रही सेवायें

- उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा आमजनता एवं उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु विभागीय वैबसाइट <http://uj.s.uk.gov.in> तैयार की गई है। इस वैबसाइट से निम्न सुविधायें प्राप्त की जा सकती हैं।
- पेयजल/ सीवर आदि शिकायतों को ऑनलाईन दर्ज करना एवं की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करना
- पेयजल / सीवर संयोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन और भुगतान एवं आवेदन की स्थिति प्राप्त करना
- पेयजल / सीवर संयोजनों के बीजक का ऑनलाईन भुगतान तथा बिलों एवं पूर्व में किये गये भुगतान की सूचना प्राप्त करना
- आमजनता एवं उपभोक्ताओं की शिकायत हेतु शिकायत निवारण केन्द्र पर टोल-फ्री नं० 1800-180-4100 की व्यवस्था
- पेयजल/ सीवर के नये आवेदित संयोजन, आमजन की शिकायतों और बिलों व भुगतान की सूचना एस0एम0एस0 व ईमेल के माध्यम से दी जाती है

ऑनलाईन माध्यम से पेयजल/ सीवर संयोजन प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया

बिन्दुवार विवरण	आवश्यक प्रपत्र/ जानकारी	समयावधि	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी
आवेदक विभागीय वैबसाईट पर लॉगईन करेगा	www.ujss.uk.gov.in	--	--
विभागीय वैबसाईट पर Online Service लिंक पर क्लिक कर नये खुले पेजपर Apply For New Connection लिंक पर क्लिक कर New Registration लिंक पर क्लिक करना होगा	www.ujss.uk.gov.in	--	--
आवेदक को वैबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा	रजिस्ट्रेशन हेतु मोबाईल नं. एवं ई-मेल की आवश्यक है	--	--
आवेदक के मोबाईल पर एस.एम.एस. से OTP(One Time Password) प्राप्त होगा			
आवेदक के ओ.टी.पी. की सहायता से लॉगईन आई.डी. एवं पासवर्ड तैयार करेगा			
लॉगईन आई.डी. एवं पासवर्ड की सहायता से आवेदक वैबसाईट पर लॉगईन कर Go to Apply New Application पर क्लिक करेगा	लॉगईन ई-मेल या रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड से किया जा सकेगा		
Go to Apply New Application पर क्लिक कर आवेदक को जिस स्थान पर संयोजन की आवश्यकता है वहां का जिला, विभाग की शाखा एवं कलैक्शन सेंटर का नाम चुनना होगा। (यदि आवेदक द्वारा यह सूचना गलत भर दी जाती है तो विभागीय प्राधिकारी इसे आवेदन को ऑनलाईन सही शाखा में प्रेषित करेंगे)			
इसके पश्चात जो भी संयोजन चाहिये, पेयजल या सीवर संयोजन चुनना होगा			
आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन भरकर Submit करना है	आवश्यक सूचना जो ऑनलाईन एन्ट्री करनी हैं 1. आवेदक की बेसिक डिटेल् (नाम, पिता का नाम, स्थान जहां संयोजन चाहिये, संयोजन का साईज आदि) 2. आवेदक द्वारा पासपोर्ट साईज की फोटो भी अपलोड		

	करनी है।		
उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदन फार्म भरने के पश्चात फार्म का नम्बर कम्प्यूटर द्वारा जनरेट किया जायेगा। इसके पश्चात स्वप्रमाणित आवश्यक प्रपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड किये जाने हैं। यदि आवेदन प्रपत्र भरते समय आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध नहीं हैं तो उपभोक्ता कभी भी View/Edit Application link पर जाकर प्रपत्र अपलोड कर सकता है। प्रपत्र अपलोड करने के पश्चात ही आवेदन पूर्ण माना जायेगा।	1- आवेदक की पहचान हेतु, निम्न प्रमाणों में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति। - वोटर आई-डी कार्ड। - पैन कार्ड। - विशिष्ट पहचान पत्र। - राशन कार्ड फोटो सहित। - ड्राइविंग लाइसेंस। - बैंक पासबुक फोटो सहित। - पासपोर्ट। - सरकारी/ अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी आई-डी कार्ड। 2- सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय/ ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (<i>मानचित्र भवन निर्माण हेतु आवेदित संयोजन हेतु ही आवश्यक है। अन्य प्रयोजनों के लिये आवश्यक नहीं है।</i>) 3- ₹0 100.00 का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर। 4- जहां पर संयोजन दिया जाना है, उस स्थान के स्वामित्व / अध्यासी हेतु निम्न में से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। - विक्रय पत्र। - लीज पत्र। - स्वामित्व प्रमाण पत्र (फर्द)। - जमीन का पट्टा - वोटर आई-डी कार्ड। - नगर निगम/ नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन का मूल्यांकन प्रमाणपत्र। - किरायेदार अनुबन्ध। - राशनकार्ड। - बिजली का बिल।		

	x. राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक xi. ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत स्वामित्व / अध्यासी प्रमाणपत्र। 5- विभागीय रजिस्टर्ड पलम्बर, जिसके माध्यम से आवेदक द्वारा कार्य कराया जायेगा, का स्वीकृति पत्र 6- यदि आवेदक अनु0जाति / अनु0जनजाति / निराश्रित / भूमिहीन श्रमिक / सैनिक विधवायें / विभाग का कार्मिक है तो उसका प्रमाणपत्र		
ऑनलाईन आवेदन पूर्ण भरे जाने के पश्चात आवेदक को आवेदन शुल्क जमा करना होगा।	आवेदन शुल्क ऑनलाईन अथवा कलैक्शन सेंटर पर जमा किया जा सकता है।		
यदि 15 एम0एम0 एवं 20 एम0एम0 पेयजल या किसी भी साईज का व्यक्तिगत सीवर आवेदन है तो 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुये स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता
यदि 25 एम0एम0 से 40 एम0एम0 पेयजल का आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुये स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा		30 दिन	अधिशासी अभियन्ता
यदि 50 एम0एम0 पेयजल या कॉलोनी / इंस्टिट्यूशन का सीवर आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुये स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा		30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता
यदि 50 एम0एम0 डाया से अधिक का पेयजल आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुये स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा		30 दिन	महाप्रबन्धक
आवेदन स्वीकृत / अस्वीकृत होने की सूचना आवेदन को एस0एम0एस0 से प्रेषित की जायेगी। यदि आवेदन स्वीकृति होता है तो आवेदक द्वारा संयोजन शुल्क दिया जायेगा	संयोजन शुल्क ऑनलाईन www.ujis.uk.gov.in पर Online Services पर क्लिक कर New Connection Payment लिंक पर जाकर डेबिट / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / कैश कार्ड से दिया जा सकता है अथवा सीधे कलैक्शन सेंटर पर भी जमा किया जा सकता है।		

ऑफलाईन अथवा कलैक्शन सेंटर के माध्यम से पेयजल/ सीवर संयोजन प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया

बिन्दुवार विवरण	आवश्यक प्रपत्र/ जानकारी	समयावधि	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी
आवेदक विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर अथवा सीधे कलैक्शन सेंटर से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकता है	www.ujis.uk.gov.in > Online Services > Download Application Form	--	--
आवेदन प्रपत्र भरकर कलैक्शन सेंटर पर आवश्यक प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा	1- पासपोर्ट साईज के नवीनतम दो फोटोग्राफ। 2- आवेदक की पहचान हेतु, निम्न प्रमाणों में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति। ix. वोटर आई-डी कार्ड। x. पैन कार्ड। xi. विशिष्ट पहचान पत्र। xii. राशन कार्ड फोटो सहित। xiii. ड्राइविंग लाईसेंस। xiv. बैंक पासबुक फोटो सहित। xv. पासपोर्ट। xvi. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी आई-डी कार्ड। 3- सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय/ ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (मानचित्र भवन निर्माण हेतु आवेदित संयोजन हेतु ही आवश्यक है। अन्य प्रयोजनों के लिये आवश्यक नहीं है)। 4- ₹0 100.00 का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर। 5- जहां पर संयोजन दिया जाना है, उस स्थान के स्वामित्व / अध्यासी हेतु निम्न में से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। xii. विक्रय पत्र। xiii. लीज पत्र।		

	xiv. स्वामित्व प्रमाण पत्र (फर्द)। xv. जमीन का पट्टा xvi. वोटर आई-डी कार्ड। xvii. नगर निगम/ नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन का मूल्यांकन प्रमाणपत्र। xviii. किरायेदार अनुबन्ध। xix. राशनकार्ड। xx. बिजली का बिल। xxi. राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक xxii. ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत स्वामित्व / अध्यासी प्रमाणपत्र। 6- विभागीय रजिस्टर्ड पलम्बर, जिसके माध्यम से आवेदक द्वारा कार्य कराया जायेगा, का स्वीकृति पत्र 7- यदि आवेदक अनु0जाति / अनु0जनजाति / निराश्रित/ भूमिहीन श्रमिक/ सैनिक विधवायें/ विभाग का कार्मिक है तो उसका प्रमाणपत्र		
आवेदन पूर्ण भरे जाने के पश्चात आवेदक को आवेदन शुल्क जमा करना होगा।	आवेदन शुल्क ऑनलाईन माध्यम से अथवा कलैक्शन सेंटर पर जमा किया जा सकता है।		
यदि 15 एम0एम0 एवं 20 एम0एम0 पेयजल या किसी भी साईज का व्यक्तिगत सीवर आवेदन है तो 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुये स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जायेगा		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता
यदि 25 एम0एम0 से 40 एम0एम0 पेयजल का आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुये स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जायेगा		30 दिन	अधिशासी अभियन्ता
यदि 50 एम0एम0 पेयजल या कॉलोनी/ इंस्टिट्यूशन का सीवर आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुये स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जायेगा		30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता

यदि 50 एम0एम0 डाया से अधिक का पेयजल आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुये स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जायेगा		30 दिन	महाप्रबन्धक
आवेदन स्वीकृत/ अस्वीकृत होने की सूचना आवेदन को एस0एम0एस0 से प्रेषित की जायेगी। यदि आवेदन स्वीकृति होता है तो आवेदक द्वारा संयोजन शुल्क दिया जायेगा	संयोजन शुल्क ऑनलाईन www.ujs.uk.gov.in पर Online Services पर क्लिक कर New Connection Payment लिंक पर जाकर डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ नेटबैंकिंग/ कैश कार्ड से दिया जा सकता है अथवा सीधे कलैक्शन सेंटर पर भी जमा किया जा सकता है।		

सेवाओं हेतु निर्धारित समयसीमा, पदाभिहीत अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

शासनादेश सं० . 1337/XXXI (13)G/2011 Dated 28 October 2011

शासनादेश सं० . 1337/XXXI (13)/G/2011 Dated 28 October 2011						
क्र० सं०	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय—सीमा		प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
			स्तर—वार समय	कुल समय		
1	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन जल संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना।					
	(क) 15 एम०एम० व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	3 दिवस	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	3 दिवस			
	(ख) 20 एम०एम० व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	3 दिवस	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	3 दिवस			
	(ग) 25 एम.एम. व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	6 दिवस	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	12 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	6 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	6 दिवस			

(घ) 32 एम.एम. व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	6 दिवस	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
	कनिष्ठ अभियन्ता	12 दिवस			
	सहायक अभियन्ता	6 दिवस			
	अधिशाली अभियन्ता	6 दिवस			
(ङ) 40 एम.एम. व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	6 दिवस	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
	कनिष्ठ अभियन्ता	12 दिवस			
	सहायक अभियन्ता	6 दिवस			
	अधिशाली अभियन्ता	6 दिवस			
(च) 50 एम.एम. व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	5 दिवस	30 दिन	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक
	कनिष्ठ अभियन्ता	11 दिवस			
	सहायक अभियन्ता	5 दिवस			
	अधिशाली अभियन्ता	5 दिवस			
	अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस			
(छ) 50 एम.एम. व्यास से अधिक के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	5 दिवस	30 दिन	मुख्य महाप्रबन्धक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड जल संस्थान / सचिव पेयजल
	कनिष्ठ अभियन्ता	10 दिवस			
	सहायक अभियन्ता	4 दिवस			
	अधिशाली अभियन्ता	4 दिवस			
	अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस			
	महाप्रबन्धक	3 दिवस			

2	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां मकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में एक सीवर संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना।	राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	3 दिवस	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	3 दिवस			
3	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां किसी कालोनी अथवा किसी प्रतिष्ठानों के समूह के लिये सीवर संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना।	राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	5 दिवस	30 दिन	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	11 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	5 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	5 दिवस			
		अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस			

शासनादेश सं० . 137/XXX (6)/2021-20 (04)16 Dated 02 March 2021						
क्र० सं०	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समयसीमा		प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
			स्तर-वार समय	कुल समय		
1	जल संयोजन विच्छेदन एवं पुर्नसंयोजन	राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	1 दिवस	7 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	2 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	2 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	2 दिवस			

2	सीवर संयोजन विच्छेदन एवं पुर्नसंयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	1 दिवस	7 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	2 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	2 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	2 दिवस			
3	जहां साध्य हो वहां पूर्व से स्थापित जल संयोजन/सीवर संयोजन का स्वामित्व या किरायेदारी का अन्तरण स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना।	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	1 दिवस	7 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	2 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	2 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	2 दिवस			

शासनादेश सं0 124714/E-17505/2023XXXIV(3)-20(02)21Dated 25 May 2023

क्र० सं०	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय—सीमा		प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
			स्तर—वार समय	कुल समय		
1	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां जल संयोजन का आकार बदलना					
	(क) 15 एम०एम० से 40 एम०एम० व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशाली अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत / अस्वीकृत			

	(ख) 50 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	5 दिवस में अग्रसारित	30 दिन	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	11 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	5 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशाली अभियन्ता	5 दिवस में अग्रसारित			
		अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस में स्वीकृत/अस्वीकृत			
	(ग) 50 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन से अधिक के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	5 दिवस में अग्रसारित	30 दिन	मुख्य महाप्रबन्धक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड जल संस्थान/सचिव पेयजल
		कनिष्ठ अभियन्ता	10 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	4 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशाली अभियन्ता	4 दिवस			
		अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस			
		महाप्रबन्धक	3 दिवस में स्वीकृत/अस्वीकृत			
2	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां जल संयोजन/सीवर संयोजन के उपयोग में परिवर्तन	राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशाली अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत/अस्वीकृत			

3	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करना	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशाली अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत / अस्वीकृत			
4	पेयजल अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र निर्गत करना	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशाली अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत / अस्वीकृत			

नोट :-

1. प्रथम अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा— 30 दिन।
2. प्रथम अपील के निस्तारण के लिये निश्चित की गयी समय-सीमा— 30 दिन।
- 3- द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा— 30 दिन।
- 4- द्वितीय अपील के निस्तारण के लिये निश्चित की गयी समय-सीमा— 30 दिन।

पदाभिहित अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के नाम एवं दूरभाष

1. 15 एम.एम. से 40 एम.एम. व्यास के जल संयोजन एवं मकानों/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में एक सीवर संयोजन हेतु व सभी प्रकार के औद्योगिक जल / सीवर संयोजन हेतु
2. जल संयोजन विच्छेदन एवं पुर्नसंयोजन/ सीवर संयोजन विच्छेदन एवं पुर्नसंयोजन/ स्वामित्व या किरायेदारी का अन्तरण हेतु

क्र० सं०	जनपद का नाम	कार्यालय नाम	पदाभिहित अधिकारी का नाम/ पदनाम एवं दूरभाष/ मोबाईल	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम/ पदनाम एवं दूरभाष/ मोबाईल	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का नाम/ पदनाम एवं दूरभाष/ मोबाईल
1	देहरादून	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तर, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32, राजपुर रोड़, देहरादून	श्री संजय सिंह, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 0135—2746137 मो. — 7895652528 ई—मेल— eenorth-ujs-uk@nic.in	श्री राजीव सैनी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), नगर, दूरभाष— 0135—2676260 मो. — 9897598019 ई—मेल— seurban-ujs-uk@nic.in seurban_ujs@rediffmail.com	श्री डी०के० सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (प्रभारी), जल भवन, बी—ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून दूरभाष— 0135—2676260 मो. — 9927027172 ई—मेल— cgm-js-ua@nic.in
2	देहरादून	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, दक्षिण, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32, राजपुर रोड़, देहरादून	श्री आशीष भट्ट, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 0135—2742028 मो. — 9411113820 ई—मेल— eesouth-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
3	देहरादून	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पित्थूवाला, उत्तराखण्ड जल संस्थान,	श्री सतीश चंद्र नौटियाल, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 0135—2640888	तदैव	तदैव

		शिमला बाईपास रोड पित्थूवाला देहरादून	मो. — 9411113824 ई—मेल— eepth-ujs-uk@nic.in		
4	देहरादून	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रायपुर।	श्री बलदेव सिंह, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 0135—2672069 मो. —7895738874 ई—मेल— eeujrsraipur@gmail.com	तदैव	तदैव
5	देहरादून	कार्यालय अनुरक्षण खण्ड (ग्रामीण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, तरुण विहार, मोथरोवाला रोड, देहरादून	श्री राजेन्द्र पाल, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 0135—2671940 मो. — 9411345841 ई—मेल— eemd-ujs-uk@nic.in	श्री नमित रमोला, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), ग्रामीण, दूरभाष— 0135—2676260 मो. — 8445565000 ई—मेल— serural-ujs- uk@nic.in	तदैव
6	देहरादून	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी	श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष— 0135—2632055 मो. — 7500005774 ई—मेल— eemus-ujs-uk@nic.in ee_ujsmie@yahoo.co.in	तदैव	तदैव
7	देहरादून	कार्यालय जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।	श्री अरुण विक्रम सिंह रावत, जलकल अभियन्ता दूरभाष— 0135—2430239 मो. —9411135841	तदैव	तदैव

			ई-मेल- wwvks-ujs-uk@nic.in		
8	देहरादून	कार्यालय जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, विकासनगर।	श्री जयपाल सिंह चौहान, जलकल अभियन्ता दूरभाष- 01360-250345 मो. - 8126994061 ई-मेल- wwvks-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
9	टिहरी	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी	श्री प्रशांत भरद्वाज, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष- 01376232154 मो. - 7017153668 ई-मेल- eetehtri-ujs-uk@nic.in	श्री वी0सी0 रमोला, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), टिहरी, दूरभाष- 0135-2676260 मो. - 9412056111 ई-मेल- setehri-ujs-uk@nic.in seujstehri@gmail.com	तदैव
10	टिहरी	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग	श्री नरेश पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष- 01378266524 / 266523 मो. - 9997887871 ई-मेल- eedpg-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
11	टिहरी	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, घनसाली, टिहरी।	श्री संतोष उपाध्याय, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष- 01379-258348 मो. - 9412081305 ई-मेल- eeghansali2015@gmail.com	तदैव	तदैव

12	उत्तरकाशी	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी	श्री एल०सी० रमोला, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 01374222206 मो. — 9412960352 ई—मेल— eeuki-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
13	उत्तरकाशी	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पुरोला	श्री देवराज तोमर, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष— मो. — 9410729510 ई—मेल— eepurola@gmail.com	तदैव	तदैव
14	हरिद्वार	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार।	श्री विपिन कुमार, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष— 01334262099 मो. — 9897121604 ई—मेल— eehrd-ujs-uk@nic.in	श्री यशवीर मल, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), हरिद्वार दूरभाष—01334—262099 मो. — 9411395651 ई—मेल— sehrd-ujs-uk@nic.in	तदैव
15	हरिद्वार	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार।	श्री हरीश बंसल, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष— 01334262099 मो. — 9368106800 ई—मेल— eeganga-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
16	पौड़ी	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड	श्री शिव कुमार राय, अधिशासी अभियन्ता	श्री प्रवीन कुमार सैनी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी),	तदैव

		उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी।	दूरभाष— 0136822015 मो. — 9927021090 ई—मेल— eepauri-ujs-uk@nic.in	पौड़ी दूरभाष—01368—221828 मो. — 8755052352 ई—मेल— sepaui-ujs-uk@nic.in	
17	पौड़ी	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कोटद्वार।	श्री अभिषेक कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 01382222219 मो. — 9412436778 ई—मेल— eekdr-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
18	चमोली	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, चमोली।	श्री सुशील कुमार सैनी, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 01372—252341 मो. — 9719066948 ई—मेल— eechm-ujs-uk@nic.in	श्री सुशील कुमार सैनी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), चमोली दूरभाष—01372—252341 मो. — 9719066948 ई—मेल— secha-ujs-uk@nic.in	तदैव
19	चमोली	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कर्णप्रयाग।	श्री मुकेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 01363—244232 मो. —9634911810 ई—मेल— ukjskaranprayag@gmail.com	तदैव	तदैव
20	रूद्रप्रयाग	कार्यालय अधिशासी	श्री अनीश पिल्लई, अधिशासी	तदैव	तदैव

		अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड उत्तराखण्ड जल संस्थान, रुद्रप्रयाग ।	अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष— 01364233226 मो. — 7500005717 ई—मेल— eerpg-ujs-uk@nic.in		
21	नैनीताल	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल ।	श्री रमेश चंद्र गर्बयाल, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष— 05942235428 मो. — 9412085082 ई—मेल— eentl-ujs-uk@nic.in	श्री विशाल कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), हल्द्वानी—नैनीताल दूरभाष—05946—266044 मो. — 9412907836 ई—मेल— sehal-js-ua@nic.in	तदैव
22	नैनीताल	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हल्द्वानी ।	श्री रवीशंकर लौशाली, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष—05946220776 मो. — 9412086776 ई—मेल— eeahal-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
23	नैनीताल	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, लालकुआं	श्री नन्द किशोर, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 05945—268112 मो. 7351732744 ई—मेल— eeujslku@gmail.com	तदैव	तदैव
24	नैनीताल	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान,	श्री मनोज गंगवार, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी)	तदैव	तदैव

		रामनगर ।	दूरभाष— 05947—255876 मो. —9756599176 ई—मेल— eeram-ujs-uk@nic.in		
25	ऊधम सिंह नगर	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऊधम सिंह नगर ।	श्री तरुण शर्मा, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 05944243711 मो. — 9412088189 ई—मेल— eeudm-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
26	ऊधम सिंह नगर	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, खटीमा ।	श्री अजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष— 05943.250208 मो. — 7500831727 ई—मेल— @gmail.com	तदैव	तदैव
27	अल्मोड़ा	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, अल्मोड़ा ।	श्री नीरज तिवारी, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष— 05962234049 मो. — 9412097575 ई—मेल— eealm-ujs-uk@nic.in	श्री विशाल कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), अल्मोड़ा दूरभाष— 05962—232707 मो. — 9412907836 ई—मेल— sealm-js-ua@nic.in	तदैव
28	अल्मोड़ा	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रानीखेत ।	श्री बंशीधर भट्ट, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष— 05966220273 मो. — 9412093550	तदैव	तदैव

			ई-मेल- eerkt-ujs-uk@nic.in ujs.ranikhet@gmail.com		
29	बागेश्वर	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, बागेश्वर।	श्री चंदन सिंह देवरी, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष- 05963220038 मो. - 9411138261 ई-मेल- eebgr-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
30	पिथौरागढ़	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, डीडीहाट।	श्री संदीप चर्तुवेदी, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष- 05964-232359 मो. - 8979489630 ई-मेल- eeddh-ujs-uk@nic.in	श्री पी0एस0 रावत, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), पिथौरागढ़ दूरभाष- 05962-232707 मो. - 8449705009 ई-मेल- sepit-ujs-uk@nic.in	तदैव
31	पिथौरागढ़	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।	श्री सुरेश जोशी, अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) दूरभाष- 05964-225237 मो. -9412168875 ई-मेल- eepit-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
32	चम्पावत	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत।	श्री बिलाल युनूस, अधिशासी अभियन्ता दूरभाष- 05965-230485 मो. -7088114750	तदैव	तदैव

			ई-मेल- eechn-ujs-uk@nic.in		
--	--	--	----------------------------	--	--

3. 50 एम.एम. व्यास के जल संयोजन एवं किसी कालोनी अथवा किसी प्रतिष्ठानों के समूह के लिये सीवर संयोजन हेतु

क्र० सं०	कार्यालय नाम	पदाभिहित अधिकारी का नाम/ पदनाम एवं दूरभाष/ मोबाईल	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम/ पदनाम एवं दूरभाष/ मोबाईल	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का नाम/ पदनाम एवं दूरभाष/ मोबाईल
1	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नगर, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 95, राजपुर रोड़, देहरादून	श्री राजीव सैनी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), नगर, दूरभाष— 0135—2676260 मो. — 9897598019 ई—मेल— seurban-ujs-uk@nic.in seurban_ujs@rediffmail.com	श्री डी०के० सिंह, महाप्रबन्धक (मुख्यालय), जल भवन, बी—ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून दूरभाष— 0135—2745919 मो. — 9927027172 ई—मेल— gmho-ujs-uk@nic.in gmho.ujs@gmail.com	श्री डी०के० सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (प्रभारी), जल भवन, बी—ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून दूरभाष— 0135—2676260 मो. — 9927027172 ई—मेल— cgm-js-ua@nic.in
2	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 95, राजपुर रोड़, देहरादून	श्री नमित रमोला, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), ग्रामीण, दूरभाष— 0135—2676260 मो. — 8445565000 ई—मेल— serural-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
3	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार	श्री यशवीर मल, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), हरिद्वार दूरभाष—01334—262099 मो. — 9411395651 ई—मेल— sehrd-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव

4	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, टिहरी	श्री वी०सी० रमोला, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), टिहरी, दूरभाष— 0135—2676260 मो. — 9412056111 ई—मेल— setehri-ujs-uk@nic.in seujstehri@gmail.com	तदैव	तदैव
5	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी	श्री प्रवीन कुमार सैनी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), पौड़ी दूरभाष—01368—221828 मो. — 8755052352 ई—मेल— sepauri-ujs-uk@nic.in	श्री डी०के० सिंह, महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग रोड़, क्यूंकालेश्वर मौहल्ला, पौड़ी दूरभाष— 01368—221828 मो. — 9927027172 ई—मेल— gmgar-js-ua@nic.in	तदैव
6	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, चमोली	श्री सुशील कुमार सैनी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), चमोली दूरभाष—01372—252341 मो. — 9719066948 ई—मेल— secha-ujs-uk@nic.in	तदैव	तदैव
7	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हल्द्वानी—नैनीताल	श्री विशाल कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), हल्द्वानी—नैनीताल दूरभाष—05946—266044 मो. — 9412907836 ई—मेल— sehal-js-ua@nic.in	श्री डी०के० सिंह, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, भीमताल, नैनीताल दूरभाष— 05942—247364 मो. — 9927027172	तदैव

			ई-मेल— gmkumn-js-ua@nic.in	
8	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, अल्मोड़ा	श्री विशाल कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), अल्मोड़ा दूरभाष— 05962—232707 मो. — 9412907836 ई-मेल— sealm-js-ua@nic.in	तदैव	तदैव
9	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़	श्री पी0एस0 रावत, अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी), पिथौरागढ़ दूरभाष— 05962—232707 मो. — 8449705009 ई-मेल— sepit-ujs-uk@nic.in	श्री डी0.के0 सिंह, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़ दूरभाष— 05964—225373 मो. — 9927027172 ई-मेल— gmpit-ujs-uk@nic.in	तदैव

4. 50 एम.एम. व्यास से अधिक के जल संयोजन

क्र० सं०	कार्यालय नाम	पदाभिहित अधिकारी का नाम/ पदनाम एवं दूरभाष/ मोबाईल	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम/ पदनाम एवं दूरभाष/ मोबाईल	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का नाम/ पदनाम एवं दूरभाष/ मोबाईल
1	कार्यालय महाप्रबन्धक (मुख्यालय), जल भवन, बी-ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून	श्री डी०.के० सिंह, महाप्रबन्धक (मुख्यालय) दूरभाष— 0135—2676260 मो. — 9927027172 ई-मेल— gmho-ujs-uk@nic.in	श्री डी०.के० सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक जल भवन, बी-ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून दूरभाष— 0135—2676260 मो. — 9927027172 ई-मेल— cgm-js-ua@nic.in	अध्यक्ष उत्तराखण्ड जल संस्थान/सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन
2	कार्यालय महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग रोड़, क्यूंकालेश्वर मौहल्ला, पौड़ी	श्री डी०.के० सिंह, महाप्रबन्धक, पौड़ी दूरभाष— 01368—221828 मो. — 9927027172 ई-मेल— gmgar-js-ua@nic.in	तदैव	तदैव
3	कार्यालय महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, भीमताल, नैनीताल	श्री डी०.के० सिंह, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, भीमताल, नैनीताल दूरभाष— 05942—247364 मो. — 9927027172 ई-मेल— gmkumn-js-ua@nic.in	तदैव	तदैव
4	कार्यालय महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान,	श्री डी०.के० सिंह, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान,	तदैव	तदैव

	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ दूरभाष— 05964—225373 मो. — 9927027172 ई—मेल— gmpit-ujs-uk@nic.in		
--	-----------	---	--	--

जल/ सीवर संयोजन हेतु एक मुश्त आगणित धनराशि

शासनादेश संख्या-118 दिनांक 29 जनवरी, 2013 के द्वारा दिनांक 01-04-2013 से प्रभावी टैरिफ में नये जल/ सीवर संयोजनों हेतु प्लॉट एरिया/कवर्ड एरिया के अनुसार, जलापूर्ति के प्रकार जैसे गुरुत्व, लोहैड एवं हाईहैड तथा नागर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अलग-अलग दरें निर्धारित हैं। विवरण निम्नवत् है—

विवरण	गुरुत्व		लोहैड		हाईहैड	
	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण
प्रार्थना पत्र शुल्क	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
सुपरविजन चार्ज	150.00	100.00	200.00	200.00	300.00	200.00
विकास शुल्क (दर प्रति वर्ग मीटर प्लॉट एरिया)	11.00	4.00	15.00	7.25	22.00	11.00
न्यूनतम प्रभार विकासशुल्क (100 वर्गमीटर प्लाट ऐ रिया पर)	1100.00	400.00	1500.00	725.00	2200.00	1100.00

नोट : 1— विकासशुल्क की उक्त दरों में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि निर्धारित है।

2— विकासशुल्क की दर प्रतिवर्गमीटर प्लॉट एरिया पर आगणित है।

3— 100 वर्गमीटर प्लॉट एरिया तक के लिये न्यूनतम प्रभार निर्धारित है। निम्न आय वर्ग वाले जल/सीवर संयोजन के आवेदकों, जिनका प्लॉट एरिया 100 वर्गमीटर से कम है, ऐसे आवेदकों से वास्तविक प्लॉट एरिया पर न्यूनतम प्रभार के स्थान पर प्रतिवर्गमीटर हेतु निर्धारित दर से विकासशुल्क लिया जायेगा।

4— शहरी क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार, जिनके पास 100 वर्गमीटर से अनधिक माप का भूखण्ड उपलब्ध है तथा उनके द्वारा इसी माप के भूखण्ड पर भवन निर्माण कराया गया है अथवा कराया जाना है या करवा रहे हों को, धनराशि रु0 100 में जल संयोजन दिया जायेगा।

भवन निर्माण हेतु जल संयोजन

भवन निर्माण हेतु जल संयोजन के लिये उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रिम जलमूल्य निर्धारित है।

विवरण	गुरुत्व		लोहैड		हाईहैड	
	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण
जलमूल्य अग्रिम (दर प्रति वर्ग मीटर कवर्ड एरिया)	2.25	2.25	5.00	5.00	8.00	8.00

नोट —15 एम.एम. से अधिक के भवन निर्माण जल संयोजन हेतु अग्रिम जलमूल्य की दरें रु0 45.00 प्रति वर्गमीटर कवर्ड ऐरिया निर्धारित हैं।